संख्या-3/2021/2957/33-3-2021-100(21)/2014

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 21 जनवरी, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 10000.00 लाख में से रू 9987.60 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/1520/2020-5/19/2020 दिनांक 14.12.2020, पत्र संख्या-5/1084/2020-5/19/2020 दिनांक 17.07.2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित धनराशि रू. 10000.00 लाख में से रू 9987.60 लाख (रू. निन्यानबे करोड सत्तासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राजय सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं पत्र संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की संभावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(6) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/ सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(10) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुनः पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जायेगा।

(11) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(12) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-09/X-2021 दिनांक- 04.01.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने का फाण्ट

अनुदान संख्या-14 (लाख रू. में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	प्रयागराज	20	10	243.6000
2	आजमगढ़	22	10	243.6000
3	जौनपुर	21	9	219.2400
4	सीतापुर	19	9	219.2400
5	गोरखपुर	19	9	219.2400
6	हरदोई	19	9	219.2400
7	खीरी	15	7	170.5200
8	कुशीनगर	14	7	170.5200
9	गाजीपुर	16	8	194.8800
10	गोण्डा	16	8	194.8800
11	बहराइच	14	7	170.5200
12	प्रतापगढ़	17	8	194.8800
13	बरेली	15	7	170.5200

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	**बलिया**	17	8	194.8800
15	**बाराबंकी**	15	7	170.5200
16	**बिजनौर**	11	5	121.8000
17	**देवरिया**	16	8	194.8800
18	**बुलन्दशहर**	16	8	194.8800
19	**उन्नाव**	16	8	194.8800
20	**रायबरेली**	18	9	219.2400
21	**अलीगढ़**	12	6	146.1600
22	**आगरा**	15	7	170.5200
23	**बदायूँ**	15	7	170.5200
24	**महराजगंज**	12	6	146.1600
25	**सहारनपुर**	11	5	121.8000
26	**सिद्धार्थनगर**	14	7	170.5200
27	**शाहजहाँपुर**	15	7	170.5200
28	**वाराणसी**	8	4	97.4400
29	**फतेहपुर**	13	6	146.1600
30	**बस्ती**	14	7	170.5200
31	**सुलतानपुर**	14	7	170.5200
32	**मिर्जापुर**	12	6	146.1600
33	**मुजफ्फरनगर**	9	5	121.8000
34	**अयोध्या**	11	5	121.8000
35	**अम्बेडकरनगर**	9	4	97.4400
36	**मुरादाबाद**	8	4	97.4400
37	**बलरामपुर**	9	5	121.8000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

38	**मथुरा**	10	5	121.8000
39	**अमेठी**	13	6	146.1600
40	**रामपुर**	6	3	73.0800
41	**चन्दौली**	9	5	121.8000
42	**मऊ**	9	5	121.8000
43	**सम्भल**	8	4	97.4400
44	**पीलीभीत**	7	4	97.4400
45	**मेरठ**	12	6	146.1600
46	**फिरोजाबाद**	9	5	121.8000
47	**सोनभद्र**	8	4	97.4400
48	**कानपुर देहात**	10	5	121.8000
49	**संतकबीरनगर**	9	5	121.8000
50	**मैनपुरी**	9	5	121.8000
51	**कानपुर नगर**	10	5	121.8000
52	**लखनऊ**	8	4	97.4400
53	**बांदा**	8	4	97.4400
54	**एटा**	8	4	97.4400
55	**कौशाम्बी**	8	4	97.4400
56	**फर्रूखाबाद**	7	4	97.4400
57	**अमरोहा**	6	5	121.8000
58	**कन्नौज**	8	4	97.4400
59	**सं0र0नगर**	6	3	73.0800
60	**जालौन**	9	5	121.8000
61	**हाथरस**	7	4	97.4400

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62	**इटावा**	8	4	97.4400
63	**झांसी**	8	4	97.4400
64	**औरैया**	7	4	97.4400
65	**कासगंज**	7	4	97.4400
66	**श्रावस्ती**	5	3	73.0800
67	**ललितपुर**	6	3	73.0800
68	**बागपत**	6	3	73.0800
69	**हापुड**	4	2	48.7200
70	**शामली**	5	3	73.0800
71	**चित्रकूट**	5	3	73.0800
72	**गौतमबुद्धनगर**	4	2	48.7200
73	**हमीरपुर**	7	4	97.4400
74	**गाजियाबाद**	4	2	48.7200
75	**महोबा**	4	2	48.7200
	योग-	**821**	**410**	**9987.6000**

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।